International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746
Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 51-54

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का कृषि विकास में योगदान (कोरिया जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ0 अभिषेक पाठक[1], रंजीत सिंह[2]

[1] सह आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग, डॉ0 सी0 वी0 रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

[2] एम.फिल., वाणिज्य, डॉ0 सी0 वी0 रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

सारांश

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंकों को बदलते बैंकिंग परिदृश्य को ध्यान में रखते हु अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना अनिवार्य होगा तथा अपनी कार्यप्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन करने होंगे। स्वयं को एक लाभप्रद संस्था के रूप में स्थापित करना होगा तभी यह बैंक प्रतिस्पर्धा को झेलकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे। इन योजनाओं में गरीब व कमजोर वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंकों ने निभाया है अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश में कार्यरत समस्त छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास संबंधी कार्यो में सहकारी एंजेसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए ग्रामीण जनता में नवचेतना का संचार कर रहे हैं।

मूल शब्द : छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंकों, आमूल–चूल परिवर्तन, वित्तीय आवश्यकताओं।

प्रस्तावना

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) हेतुं भारत सरकार ने वर्ष 2007–08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की थी। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का विकास पहले होना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र के अविकसित होने से दूसरे क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ती है तो वही अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा जो अन्य क्षेत्रों के विकास को बाधित करेगा। लघु कृषक जो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करते है। इनके परिवार का आकार बड़ा होता है। बड़ा परिवार होने के कारण कृषि श्रमिको की संख्या अधिकतम होने से श्रम आधारित कृषि की प्रधानता है। सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लघु कृषकों की फसलोत्पादन कम होने से उत्पादन एवं उत्पादकता निम्न है। भारतीय लघु कृषकों की पिछड़ी हुई दशा का मुख्य कारण उत्पादन एवं उत्पादकता की कमी ही है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर लोगो को खाद्य सामग्री की आपूर्ति कृषि से ही की जाती है। लघु कृषक वर्तमान खाद्य संकट को सुलझाने और स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विकास में खाद्य उत्पादन का प्रेरक है। वैश्विक खाद्य संकट के निर्माण में पूंजीवादी औद्यौगिक कृषि के विरोध में लघु कृषक का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में पूंजिवादी वैष्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में श्रेष्ठ साबित हो रहा है। भारत में पुर्नविभाजन एवं विखण्डन से भू–जोतो का आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे लघु कृषक की संख्या भी प्रभावित हुई है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) योजना की शुरूआत भारत सरकार ने वर्ष 2007–08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरूआत की थी जो तब से प्रचालन में है।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- राज्यों को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके।
- राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायतता प्रदान करना।
- कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएं बनाई जाएं, यह सुनिश्चित करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताएंध्फसलोंध प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र प्रकार से समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में परिवर्तन लाना।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का परिचय

01 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय नवगठित राज्य में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। भारत शासन, वित्त मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 23 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 जून 2006 को अधिसूचना जारी की गयी जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का समामेलन कर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर का गठन किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हो गए है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की बचत योजना

बचत योजनाओं के पूंजी का एकीकरण किया जाता है। इसका आभाव ग्रामीण लोगों में अधिकतर देखा गया है। उनके पास किसी भी प्रकार की पूंजी नहीं रहती है। क्योंकि जितना वह आमदनी प्राप्त करता है केवल उसके घर खर्च चलता है। जिससे वह किसी भी प्रकार की पुंजी नहीं रख पाते है। यदि ग्रामीणों की पूंजी की आवश्यकता होती है तो वह अपने पूंजी हेतु बड़े–बड़े पुंजीपतियों से अधिकतम ब्याज दर से लेते है। बीमा योजना, आवर्ती जमा खाता, बचत खाता, सावधि जमा, जनधन योजना आदि योजनाओं से ग्रामीण जन अपना बचत कार्य करते है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की विविध ऋण योजनाएं

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण की है और ऋण वितरण राशि में प्रायः वृद्धि की है साथ ही कृषि साख के रूप में अपनी एक पहचान बनाई है। ऋण वितरण बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। प्राथमिक क्षेत्र का आशय ऐसे क्षेत्र से है जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वितरण में फसल ऋण, कृषि हेतु ऋण, व्यावसायिक एवं स्वरोजगारी ऋण प्रमुख है एवं गैर लक्ष्य समूह के अन्तर्गत ऋण वितरण में प्रमुख रूप से उपभोक्ता वस्तुओ हेतु ऋण और व्यक्तिगत ऋण शामिल होते है। प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वितरण में सर्वाधिक ऋणों का वितरण लक्ष्य समूह में किया गया है। भारत सरकार के माध्यम से इन बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अत्यधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुई हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करता है।

जैसे :– फसल ऋण, कृषि संबंधी ऋण, पान बाडी़ हेतु ऋण, डंगराबाडी़ हेतु ऋण, लघु सिंचाई योजना संबंधी ऋण, भूमि सुधार हेतु ऋण, बैल क्रय करने हेतु ऋण, गोबर गैसैस प्लांट लगाने हेतु ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ट्रेक्टर योजना आदि।

कोरिया जिले का परिचय

किसी क्षेत्र के इतिहास एवं संस्कृत को प्रभावित करने वाले आधारभूत कारणों से सम्बन्धित भू–भौतिक पर्यावरण को नियमायक तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण आदिम संस्कृति की विशेषताओं को संजोये रखने में कोरिया का उल्लेखनीय स्थान है। कोरिया जिला 22^0 48′ उत्तर और 81^0 47′ पूर्व के बीच स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सिधी जिले के उत्तर में, कोरबा जिले के द्वारा पूर्व में, सुरजपुर जिले के पूर्व में और मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले के पश्चिम में स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 5977 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से 59.9 प्रतिशत वन क्षेत्र है। यह जिला पहाड़ी पर्वतमाला का विशाल क्षेत्रफल में है। सामान्य ऊँचाई समुद्र तल से 550 मीटर (1800 फीट) है। यहां की जलवायु ठड़ी एवं शुष्क वातावरण रहता है। क्योंकि यह शहर पहाड़ीयों से घिरा है। यह क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है।

अध्ययन विषय की सार्थकता

विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बाँधने के लिए किसी ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुचारू रूप से निर्देशित एवं संचालित कर सके। कृषि ही वह शक्तिशाली साधन है जो इस कार्य को पूरा करती है। देश के विकास को गति प्रदान करने व तीव्र आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कृषि की व्यवस्था अनिवार्य है। वर्तमान में विश्व की अधिकांश विकसित कृषि विकास एवं तकनीकी पर आधारित हैं, जिससे कृषि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण में कृषि विकास तथा आधुनिकीकरण से ही देश का आर्थिक उन्नति हो सकती है। ग्रामीणों के कृषि विकास एवं ग्रामों में समुचित व्यवस्था करके ही कोई देश अपना आर्थिक उन्नति कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इससे अछूता नही है। जब देश के सभी गांवों का विकास होगा तब ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इसी कारण आज अपना देश ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी देश अपने गावों का विकास करने के लिए अनेक प्रकार के आर्थिक योजना लागू कर रहे है जिससे ग्रामीणों में कृषि विकास हो। ग्रामीणों के कृषि में विकास हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का विशेष योगदान रहा है। यह लघु शोध प्रबंध भविष्य में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा प्राप्त सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलेगा। जिससे ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति हेतु महत्वपूर्ण योगदान होगा एवं शोध करने वाले छात्रों के लिए एक मार्ग दर्शक बनने में सहायक सिद्ध होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषि विकास के निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों और उसकी विभिन्न गतिविधियों की गति में आए परिवर्तन और विकास यात्रा के सतत् जारी रहने की क्रियाओं की जानकारी लेना उचित होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन को निम्नलिखित उद्देश्यों में सीमित किया गया है–

1. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की कृषि संबंधी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के बचत योजनाओं का अध्ययन करना।
3. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की ऋण प्रणाली का अध्ययन करना।
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि विकास एवं गैर कृषि विकास के लिए दिए जाने वाले ऋणों का अध्ययन करना।
5. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के हितग्राहियों द्वारा लिए गए ऋणों की वापसी की प्रक्रिया तथा ऋण मुक्ति कार्यक्रम के प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाए

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का कृषि विकास में योगदान (कोरिया जिले के विशेष संदर्भ में) के अंतर्गत यह परिकल्पना की गयी है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की सहायता से ग्रामीणों की कृषि आय एवं जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

अध्ययन की सीमाएँ :– इस शोध को केवल कोरिया जिले के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के कृषि ऋण धारक ग्रामीणों तक ही सीमित किया जायेगा। जिसमें केवल 100 कृषकों को शोध के लिए लिया जाएगा।

न्यादर्श :– कोरिया जिले के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का कृषि विकास में ग्रामीणों को न्यादर्श के रूप में लिया गया हैं। कोरिया जिले के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के कृषि विकास स्थिति की जांच हेतु 100 ग्रामीण कृषकों को न्यादर्श के रूप में लिया गया हैं।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :– कोरिया जिले के ग्रामीणों हेतु साक्षात्कार प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि द्वारा किया गया। जो अध्ययन क्षेत्र के समस्त हितग्राहियों की एक सुक्ष्म रूप हैं। यह समंक सर्वेक्षित हितग्राहियों की व्यक्तिगत विशेषताओं, कृषि उद्देश्य,

कृषि की राशि, कृषि की पर्याप्तता ऋण की प्राप्ति की समस्याओं एंव ऋण का उन पर प्रभाव आदि को समझने में सहायक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

आंकड़ों का संकलन :– प्रस्तुत शोध–प्रबंध की विषय वस्तु प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको एवं तथ्यों पर आधारित है।

प्राथमिक समंक :–प्राथमिक समंकों के संकलन के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्नावली के आधार पर कोरिया जिला के अतंर्गत आने वाली छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा के माध्यम से कृषि कार्य प्राप्त करने वाले 100 हितग्राहियों का चयन दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया। यह समंक सर्वेक्षित हितग्राहियों की व्यक्तिगत विशेषताओं, कृषि उद्देश्य, कृषि कार्य की राशि, कृषि की पर्याप्तता ऋण की प्राप्ति की समस्याओं एंव ऋण का उन पर प्रभाव आदि को समझने में सहायक है।

द्वितीयक समंको :– प्रस्तुत अध्ययन के लिए द्वितीय समंक विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी स्त्रोतों से संकलित किया गया। यह समंक मुख्यतः छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक कार्यालय, जिला ग्रामीण अधिकरण तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों एवं पुस्तकों की सहायता से द्वितीयक समंकों का संकलन किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष निकाला गया है जो निम्न है–

- ग्रामीणों द्वारा दिये गये मत में 79 प्रतिशत ग्रामीणों का विचार है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा दी गई कृषि में वृद्धि हुई है तथा 21 प्रतिशत ग्रामीणों का विचार है की उनकी कृषि आय में वृद्धि नहीं हुई है। अतः स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा दी गई कृषि सहायता ग्रामीणों के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई है। जिससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- कोरिया जिले के ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण की प्रक्रिया से संतुष्ट है। जिसका कारण यह है कि उन व्यक्तियों के बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से पूरा कर लेता है। जिससे उनकी बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। और अधिकतर ऐसे भी व्यावसायिक/कृषक है जिसे बैंक की प्रक्रिया को पूरा करने में परेशानी होती है। क्योंकि वह बैंक के आवश्यकतानुसार दस्तावेज की पूर्ति नहीं कर पाता है तथा उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- कोरिया जिले के अधिकतर व्यावसायिक वर्ग के लोगों द्वारा सामान्य किश्त में भुगतान करता है। जिससे ना ही व्यवसाय पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही ब्याज दर बढ़ता है। क्योकि उसके व्यावसाय प्रतिदिन लाभ देता है। तथा कुछ व्यावसयिक लोगों पर किस्त का भुगतान करने में कभी कभी सक्षम नहीं हो पाता है। और कृषक वर्ग के लोगों को मासिक किस्त का भुगतान करने में परेशानी होता है। क्योकि कृषक अपने फसल पर निर्भर रहता है। यदि फसल सही रूप से नहीं हो पाता है तो वह मासिक किश्त का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तथा वह फसल के कटने के बाद ही 3 या 6 महिने का भुगतान एक साथ करता है।
- विभिन्न ऋण योजनाओं से पता चलता है कि वर्तमान समय में बैंक का महत्वपूर्ण योगदान है तथा इस बैंक से बहुत सारे किसानो को लाभ मिलता है इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक द्वारा किसानो को विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त होते है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का आर्थिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत हमने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं को ज्ञात करने का प्रयास किया है।

उपसंहार

वर्तमान में भारत सरकार अपने विभिन्न आयामों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोने–कोने तक ऋण सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसका लाभ भारत के लोगों को मिल रही है। कृषि, व्यापार, पशुपालन,लघुसीमांत, कृषिकों, ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से ऋण मिल रहा है। साथ ही परम्परागत ऋण व्यवस्था से छुटकारा भी मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि ऋण व्यवस्था को सरल कर दिया जाए ताकि इसका लाभ भारत के सभी वर्गों को मिल सके तभी एक सफल ग्रामीण भारत की कल्पना की जा सकती है। आज के दौर में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत अधिक प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा एवं स्वरूप ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। इन बैंकों को आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप में अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। अन्य बैंकों की भांति इन बैंकों को भी स्वतंत्र निर्णय की छूट दी जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंकों को बदलते बैंकिंग परिदृश्य को ध्यान में रखते हुे अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना अनिवार्य होगा तथा अपनी कार्यप्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन करने होंगे। स्वयं को एक लाभप्रद संस्था के रूप में स्थापित करना होगा तभी यह बैंक प्रतिस्पर्धा को झेलकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेंगे।

संदर्भ

1. आनंद एस. सी, ''रूरल बैकिंग एवं डेवलपमेंट'', देहली यू.डी. एच., 1990, पृ. 267.
2. बाजपेयी, एस .आर, ''सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण'', किताब घर, कानपुर संस्करण, 2002.
3. धींगरा, आई. सी.,''ग्रामीण अर्थशास्त्र'' देहली सुल्तानचंद, 1990.
4. द्विवेदी, राधेश्याम, ''म.प्र. सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम'', सुविधा लॉ हाऊस, भोपाल, वर्ष 2000.
5. गोंड, श्यामलाल एवं यादव, दलसिंगार, ''बैंक ऋण वसूली प्रबंध विविध आयाम'' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 1995.
6. ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नई दिल्ली.
7. जैन, नोटियाल सिंह और छजे, ''बैंक प्रबंधन के सिद्धांत'', एटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली.
8. नाथुराम, का लक्ष्मीनारायण, ''भारतीय अर्थशास्त्र'', लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, नई दिल्ली.
9. तोलानी, गुरूदास, ''ग्रामीण विकास में बिलासपुर–रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका (रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में)'', अप्रकाशित शोध–प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ.ग.) 2005. त्रिपाठी, शालिग राम, ''म.प्र. के ग्रामीण वित्त में सहकारी साख समितियों का योगदान (1980 से 1990

तक रायपुर संभाग में व्याप्त परिवर्तनों का मूल्यांकन)'', अप्रकाशित शोध–प्रबंध, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) 1991.
10. शुक्ला, ज्ञानेन्द्र कुमार, ''छत्तीसगढ राज्य में सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की प्रगति एवं उपलब्धिया (रायपुर जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विशेष संदर्भ में)'', अप्रकाशित शोध–प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) 2001.
11. उपाध्याय, श्रीमती कल्पना, ''रायपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक की ऋण नीति का आर्थिक विश्लेषण'' (1970–71 से 1989 –90)'', अप्रकाशित शोध–प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) 1994.